5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED.

58

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर केम्प सागर</u>

1— श्रीमति बिद्यादेवी पत्नि अनंतराम भार्गव

2— हंसराज पाटकर तनय श्री राजबहादुर पाटकर,

दोनों निबासी— ग्राम बेनीसागर मुहल्ला पन्ना, तहसील जिला पन्ना,

.................आवेदकगण

B.O.R. 11 MAY 2018

वनाम निगरानी-3343/2018/पन्ना/भू.अ.प्र.

म0 प्र0 शासन द्वारा अधीक्षक भू अभिलेख जिला पन्ना

................अनावेदक

<u>निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—</u>

**आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—**

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय **श्रीमान अधीक्षक भू अभिलेख जिला पन्ना द्वारा प्र0 क0 1721/ भू— अभि0/एस एल आर/2014 में स्वीकृत सीमांकन दिनांक 24/09/2014 से** परिवेदित होकर कर रहे है, जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम पन्ना की आराजी कमांक 2398 का कथित सीमांकन दिनांक 09/09/2014 को अनावेदक कमांक 01 द्वारा किया गया था। उपरोक्त सीमांकन करने से पूर्व किसी भी सीमावर्ती या हितबद्ध पक्षकार को सूचना पत्र नहीं दिये गये थे। जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

81 23/5/18

## <u>निगरानी के आधार</u>

1— यह कि अनावेदक कम्रक 01 द्वारा किया गया सीमांकन बिधि विधान पत्रावली एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के बिपरीत होने से निरस्त करने योग्य है।

2— यह कि अनावेदक कम्रक 01 द्वारा सीमांकन करने से पूर्व इस बात को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया है कि, ना तो उनके द्वारा हितबद्ध ब्यक्तियो को निर्धारित अवधि के पूर्व सूचना पत्र जारी किये गये, ना ही उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। एकपक्षीय रूप से सीमांकन कर दिया गया। कथित सीमांकन करने के उपरांत

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

---

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-3343/2018/पन्ना/भू.रा. विद्यादेवी विरूद्ध शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24-09-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पटेरिया को ग्राहयता पर दिनांक 14-09-2018 को सुना गया । यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख जिला पन्ना के प्रतिवेदन दिनांक 24-09-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।<br>निगरानी मेमों के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया है ।<br>3. आवेदक के द्वारा अपने निगरानी मेमो के पैरा (2) में व धारा 5 के आवेदन में उल्लेखित किया है कि सीमांकन के आधार पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत उनकी अपील अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के द्वारा निरस्त की गई है । जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रकरण लंबित है ।<br>4. सीमांकन दिनांक 24-09-2014 को किया गया था । आवेदक का यह तर्क है कि, 12-03-2018 को उन्हें सीमांकन की जानकारी हुई थी, जो कि कतई मानने योग्य नहीं है, आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के न्यायालय में इसी सीमांकन के आधार पर उसके अवैध कब्जे के विरूद्ध प्रथम अपील की थी, एवं अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील खारिज होने पर अपरं आयुक्त सागर के न्यायालय में द्वितीय अपील दायर की गई है । | |

5. अत: अधीक्षक भू-अभिलेख पन्ना के आदेश दिनांक 24-09-2014 से लगभग 3 वर्ष 8 माह बाद यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के कारण निगरानी समय बाह्य होने के कारण अग्राह्य की जाती है ।

6. आवेदक अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

24.9.18
(आर.के. जैन)
सदस्य